

527

प्रेषक,

राजीव सिंह  
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)  
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश  
न्यायालय सं. 4 पीलीभीत।

सेवा में,

श्री रोहित अग्रवाल, एच.जे.एस.  
ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल)(बजट)  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
पीलीभीत।

विषय-

पत्रांक सं. 3592/IV/एडमिन.(ए-4)/दिनांक 26.03.22  
के सम्बंध में आख्या।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं. 3592/IV/एडमिन.(ए-4)/दिनांक 26.03.22 के अनुक्रम में निवेदन है कि प्रार्थी ने उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 के भाग तृतीय में उत्तीर्ण होने के उपरान्त दिनांक 18.03.2020 को न्यायिक सेवा में ज्वाइन किया है। मेरे द्वारा न्यायिक सेवा में ज्वाइनिंग से पूर्व का अपना प्रापटी स्टेटमेंट दिनांक 02.08.2020 को ई-सर्विस ऐप के द्वारा उचित माध्यम एवम् निर्धारित प्रारूप पर अपलोड किया जा चुका है।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्रांक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2020 या 2019-2021 के अंतर्गत आने वाले प्रार्थी की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण, माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं. 14325/IV-h-16/एडमिन.(ए-4)/दिनांक 03.12.2021 के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा भूलवश ई-सर्विस ऐप के द्वारा उचित माध्यम एवम् निर्धारित प्रारूप पर अपलोड नहीं किया जा सका।

यह कि प्रार्थी की उच्चतर न्यायिक सेवा में ज्वाइनिंग दिनांक 18.03.2020 को हुई है इस प्रकार प्रार्थी वित्तीय वर्ष 2019-2021 के अंतर्गत आता है।

अतः प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 एवम् 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक का अपना प्रापटी स्टेटमेंट ई-सर्विस ऐप के द्वारा उचित माध्यम एवम् निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 31.03.2022 को अपलोड कर प्रेषित किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थी के द्वारा अपना चल एवम् अचल सम्पत्ति का विवरण प्रथम ज्वाइनिंग दिनांक 18.03.2020 को होने के कारण समयावधि के अन्तर्गत अपलोड नहीं किया जा सका प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई देरी या त्रुटि नहीं की गयी है फिर भी जिसके लिए प्रार्थी क्षमा याचना करता है और आश्वस्त करता है कि भविष्य में प्रार्थी के स्तर से इस प्रकार का विलम्ब कारित नहीं होगा।

आख्या श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक : 31.03.2022

भवदीय  
राजीव सिंह  
31/03/2022

विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)  
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश  
न्यायालय सं. 4 पीलीभीत।

Administrative Section  
No. 57/2  
Dated: 31/03/22  
Forwarded  
District Judge  
Pilibhit